फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मोहित — विपक्षी : श्रीमती रूकमाबाई

किस्म मुकदमा – 212 रा0का0अ0 — पत्रावली संख्या : 116 / 25

जीसीएमएस : 2025 / 504

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक :– 09.09.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र धारा 212 रा.का.अ. के तहत् कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में काउन्टर प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहकर काउन्टर प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि उभय पक्षकारान ही पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है तथा प्रार्थना पत्र व काउन्टर प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर ड्रोप करवाना चाहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में अब इस पत्रावली को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर ड्रोप किया जाकर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:31:14 IST
Reason: SelfAttested